

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल, दरभंगा

लाल बिहारी साहु वगैरह

वनाम

बिन्देश्वर साहु

वाद संख्यां 38/13-14

वाद का प्रकार - अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

15.11.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है.

**प्रश्नगत भूमि का विवरण**

मौजा साहो थाना बिरौल थाना नंबर-110 जिला दरभंगा.

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		23.95	
665	7178	डी०	उत्तर-बनारसी साहु
1769	6261		दक्षिण-राम गुलाम साहु

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि आवेदक द्वारा यह वाद खाता सुधार एवं अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है जो कि हाल सर्वे खेसरा 6451 खाता 1769 जो कि पुराना खेसरा 7178 खाता 665 रकवा 23.093 से सम्बंधित है. वादी का कहना है कि वंशावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अघोरी तेली अपने पीछे दो पुत्रों छितन तेली एवं मितान तेली को छोड़कर मरे. बच्चू साहु ने प्रश्नगत भूमि का सारा हिस्सा आवेदक संख्यां 2 एवं 3 के पिता बनारसी साहु के नाम से निबंधित केवाला के माध्यम से बेच दिया. सरयुग साहु ने अपना हिस्सा आवेदक संख्यां 1 के पिता एवं

आवेदक संख्यां 2 एवं 3 के दादा के राम गुलाम साहु को बेच दिया. आपसी बंटवारा में प्रश्नगत भूमि बिन्देश्वर साहु एवं राम गुलाम साहु के बराबर के हिस्से में आयी. इस प्रकार बिन्देश्वर साहु आधा के एवं रामगुलाम साहु आधा के अलग अलग दखल में आये. आवेदक रामगुलाम साहु के वंशज है. दिनांक 04.03.2013 को प्रतिवादी द्वारा दखल पर विवाद किया गया जिसमें कि हाल सर्वे में पुरे प्रश्नगत भूमि का गलत प्रविष्टि प्रतिवादी बिन्देश्वर साहु के नाम से हो गया है जो विवाद का कारण है. अतः वादी का कहना है कि न्यायालय हाल सर्वे में दर्ज प्रविष्टि को गलत घोषित करे एवं प्रश्नगत भूमि के ½ हिस्से पर प्रतिवादी बिन्देश्वर साहु, ¼ हिस्से पर आवेदक संख्यां 1 लाल बिहारी साहु, 1/8 हिस्से पर आवेदक संख्यां 2 जगदीश साहु एवं 1/8 हिस्से पर आवेदक संख्यां 3 विशम्भर साहु के अधिकार की घोषणा करे.

वाद की कारवाई के दौरान दोनों पक्षों को विधिवत सुचना निर्गत किया गया. प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित रहे. अंततः एक पक्षीय सुनवाई की गयी. प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना, अभिलेख एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया. प्रथम पक्ष का कहना है कि वादी एवं प्रतिवादी दोनों एक ही वंश के हैं एवं हाल खतियान में वादी के हिस्से की प्रश्नगत भूमि भी प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गया है. संलग्न की गई वंशावली में अघौरी तेली से वंश बृक्ष की शुरुआत करते हुए बंटवारा की बात की गयी है परन्तु अघौरी तेली की कुल कितनी जमीन थी इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है. जबतक कुल जमीन का रकवा पता नहीं हो तबतक बंटवारा व हिस्से का निर्धारण करना संभव नहीं है. वादपत्र में बच्चू तेली द्वारा अपने हिस्से की जमीन बनारसी तेली को बेचने का जिक्र किया है जबकि संलग्न केवाला में विक्रेता का नाम राम चरण साहु है जिसका नाम वंशावली में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है. इसी प्रकार वादपत्र में सरयुग तेली द्वारा अपने हिस्से की जमीन रामगुलाम तेली को बेचने की बात कही गयी है जबकि संलग्न केवाला से स्पष्ट होता है कि सरयुग साहु द्वारा बनारसी साहु को जमीन की बिक्री की गयी है. इस प्रकार वादपत्र एवं साक्ष्य में कोई सामंजस नहीं है तथा पूर्वजों के कुल जमीन का कोई जिक्र व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया गया है जिसके आधार पर वादी व प्रतिवादी के हिस्सा का निर्धारण हो सके एवं अधिकार का प्रख्यापन किया जा सके. अतः वाद को खारिज किया जाता है.


उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है. उक्त आदेश से उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे.

लेखापित एवं संशोधित

  
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

बिरौल

  
15.11.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,

बिरौल